न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी— श्री [illegible] एवं [illegible]

मुकदमा संख्या 56/2018

[illegible] पिता [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] प्रार्थी

बनाम

[illegible] पिता [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्व अपील अधि0 1956

: आ दे श :

दिनांक 10.4.2018

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्व अपील अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम [illegible] पटवार हल्का [illegible] तहसील मांडल / करेड़ा में उसके खाते / संयुक्त खातों की आराजी नं. 663/0-12, 664/1/0-13, 665/1/0-12 ..... कुल किता 3 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा स्थित है। चारों तरफ भूमि के विपक्षीगण के कब्जे आराजी मुकदमा की सीमा निश्चित नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि का पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22.2.18 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि चाह सरत भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हक फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

: आदेश :

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111—128 लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम [illegible] पटवार हल्का [illegible] तहसील मांडल / करेड़ा में स्थित आराजी नम्बर 663/0-12, 664/1/0-13, 665/1/0-12 ..... कुल किता 3 ..... रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू—अभिलेख निरीक्षक [illegible] को 300/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि— तहसीलदार मांडल / करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा